



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

गिसल नं.
349/2019

तारीख दायर
27/12/2019

तारीख फैसला
13/05/2024

1. हरिनारयण पुत्र पांचू जाति मीणा, निवासी ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. ओंकार पुत्र पांचूराम दत्तकपुत्र टूण्डा जाति मीना, निवासी मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
3. उप पंजियक जमवारामगढ़, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री रामकरण शर्मा :- वकील वादी।

श्री पुष्पेन्द्र शर्मा :- वकील प्रतिवादी।


दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 52 रकबा 0.6300है0, 57 रकबा 0.2100है0, 77 रकबा 0.1700है0, 247 रकबा 1.9500है0 भूमियां है। जिनका वादी संयुक्त खातेदार है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 20.12.22 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 21.03.24 पेश की तथा जिस पर वकील वादी ने जवाब आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिस पर वकील उभय पक्षों की बहस सन्नी गई। आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार


उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत घात 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात को तकारामा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	औंकार पुत्र पांचुराम दत्तक पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/2 जाति मीना सा०देह खातेदार राहिन हि० 1/2 (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां, हरिनारायण पुत्र पांचु हि० 1/2 जाति मीना सा०देह खातेदार।	52	0.63	चाही	25.20
		57	0.21	चाही ए	8.40
		77	0.17	चाही 1	5.10
		247	1.95	चाही 3	31.20
		449	0.01	गै.मु.चाह	—
	योग	किता 5	2.97	—	69.90

—: प्रस्तावित :-

क०स० संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	औंकार पुत्र पांचुराम दत्तक पुत्र टुण्डा हि० पूर्ण जाति मीना सा०देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां	52/1	0.3150	चाही	—
		57/1	0.1050	चाही	—
		77/1	0.0850	चाही 1	—
		247/2	0.9750	चाही 3	—
		योग	किता 4	1.4800	—
2	हरिनारायण पुत्र पांचु हि० पूर्ण जाति मीना सा०देह खातेदार	52/2	0.3150	चाही	—
		57/2	0.1050	चाही	—
		77/2	0.0850	चाही 1	—
		247/1	0.7221	चाही 3	—
		247/3	0.2529	—	—
	योग	किता 5	1.4800	—	—
3	शामिलात	449	0.01	गै०मु०चाह	—
		योग	किता 1	0.01	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुकम इवितनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजियात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारागढ जिला जयपुर

हरिनारायण

बनाम

औंकार वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 349/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री पुष्पेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मेदराजसिंहपुरा, तहसील जमवारागढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-


क्रमांक	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
1	औंकार पुत्र पांचुराम दत्तक पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/2 जाति मीना सा०देह खातेदार राहिन हि० 1/2 (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां, हरिनारायण पुत्र पांचु हि० 1/2 जाति मीना सा०देह खातेदार।	52	0.63	चाही	25.20
		57	0.21	चाही ए	8.40
		77	0.17	चाही 1	5.10
		247	1.95	चाही 3	31.20
		449	0.01	गै.मु.चाह	-
	योग	किता 5	2.97	-	69.90

-: प्रस्तावित :-

क्र०सं० संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	औंकार पुत्र पांचुराम दत्तक पुत्र टुण्डा हि० पूर्ण जाति मीना सा०देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां	52/1	0.3150	चाही	-
		57/1	0.1050	चाही	-
		77/1	0.0850	चाही 1	-
		247/2	0.9750	चाही 3	-
		योग	किता 4	1.4800	-
2	हरिनारायण पुत्र पांचु हि० पूर्ण जाति मीना सा०देह खातेदार	52/2	0.3150	चाही	-
		57/2	0.1050	चाही	-
		77/2	0.0850	चाही 1	-
		247/1	0.7221	चाही 3	-
		247/3	0.2529		-
योग	किता 5	1.4800	-	-	
3	शामिलात	449	0.01	गै०मु०चाह	-
		योग	किता 1	0.01	-

उप खण्ड अधिकारी
जमवारागढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के आर्ई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/05/2024 को जारी की गई।


 उपखण्ड अधिकारी
 उष जमवारामगढ़ अधिकारी
 जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


 उपखण्ड अधिकारी
 उष जमवारामगढ़ अधिकारी
 जमवारामगढ़